**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-83/2019/1342/22-2-2019-17(700)/2019**

**लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2019**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजबली (बन्दी संख्या-44338) पुत्र श्री पुरूषोत्तम, निवासी ग्राम-बेलवरिया, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-मीरजापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-33/1970 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 के अधीन दिनांक 14.10.1970 को मा0 न्यायालय टेम्परेरी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.1974 द्वारा यथावत रखा गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 69 वर्ष होने, 16 वर्ष से अधिक अपरिहार सजा, 20 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-83/2019/1342(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

3-पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in